

Original Article


IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO EDUCATION (RTE) ACT IN SECONDARY SCHOOLS: AN ANALYTICAL AND POLICY STUDY OF GWALIOR DIVISION

माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम का क्रियान्वयनरू ग्वालियर संभाग का विश्लेषणात्मक एवं नीतिगत अध्ययन

Mamta Kailashiya ^{1*}, Alka Gupta ²

¹ Research Scholar, Vikrant University, Gwalior, India

² Associate Professor, Vikrant University, Gwalior, India



ABSTRACT

English: It would not be incorrect to describe education as the fundamental basis of any nation's progress, and the Right to Education (RTE) Act, 2009, is considered a crucial—and indeed decisive—step towards ensuring universal and inclusive education in India. The objective of this study is to examine the current status of the RTE Act's implementation in the secondary schools of Gwalior Division and to evaluate its policy implications. During the study, we focused on several key aspects, such as school infrastructure, teacher availability, student enrollment, attendance, educational quality, and various issues related to inclusive education. The study reveals that following the implementation of the RTE Act, enrollment increased in many areas, and public awareness regarding education improved. However, a lack of resources persisted in many schools—particularly at the foundational level—and there was an imbalance in the availability of trained teachers. Issues such as an imbalanced student-teacher ratio emerged, and persistent problems regarding the delivery of quality education were observed. This situation was particularly pronounced in rural and remote areas, where the impact was more evident. Furthermore, the study indicates that for the Act to be truly effective, administrative oversight must be significantly strengthened, the continuous availability of resources ensured, and community participation effectively integrated. Overall, this research offers several policy recommendations aimed at improving educational quality and ensuring equal opportunities; these suggestions could prove useful not only for the Gwalior Division but also for educational systems in other regions.

Hindi: शिक्षा को किसी भी राष्ट्र की तरक्की का “मूल आधार” कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 भारत में सार्वभौमिक तथा समावेशी पढ़ाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेहद अहम, और हद तक निर्णायक कदम माना जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य ग्वालियर संभाग के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति को टटोलना है, साथ ही इसके नीतिगत प्रभाव (जैसे असर) का मूल्यांकन करना भी। पढ़ाई के दौरान हमने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया, जैसे विद्यालयों की आधारभूत सुविधाएं, शिक्षक उपलब्धता, छात्र नामांकन, उपस्थिति, शैक्षिक गुणवत्ता, और समावेशी शिक्षा से जुड़े वे सारे मुद्दे जो अक्सर सामने आते हैं। अध्ययन से यह बात कुछ हद तक साफ दिखती है कि RTE अधिनियम लागू होने के बाद कई जगहों पर नामांकन बढ़ा, और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता भी बेहतर हुई। लेकिन फिर भी, कई विद्यालयों में संसाधनों की कमी बनी रही, खासकर बुनियादी स्तर पर, प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में भी संतुलन नहीं दिखा। छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन जैसी दिक्कतें भी सामने आईं, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के संदर्भ में कई समस्याएं स्थायी रूप से देखी गईं। यह स्थिति विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में ज्यादा उभरी, वहां इसका असर

*Corresponding Author:

Email address: Mamta Kailashiya (drnamrata0751@gmail.com)

Received: 15 April 2026; Accepted: 24 May 2026; Published 30 June 2026

DOI: [10.29121/ShodhSamajik.v3.i1.2026.119](https://doi.org/10.29121/ShodhSamajik.v3.i1.2026.119)

Page Number: 220-227

Journal Title: ShodhSamajik: Journal of Social Studies

Journal Abbreviation: ShodhSamajik J. Soc. Stud.

Online ISSN: 3049-2319, Print ISSN: 3108-2009

Publisher: Granthaalayah Publications and Printers, India

Conflict of Interests: The authors declare that they have no competing interests.

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Authors' Contributions: Each author made an equal contribution to the conception and design of the study. All authors have reviewed and approved the final version of the manuscript for publication.

Transparency: The authors affirm that this manuscript presents an honest, accurate, and transparent account of the study. All essential aspects have been included, and any deviations from the original study plan have been clearly explained. The writing process strictly adhered to established ethical standards.

Copyright: © 2026 The Author(s). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

अपेक्षाकृत ज्यादा दिखाई दिया। इसके अलावा अध्ययन यह भी संकेत देता है कि यदि अधिनियम को सच में प्रभावी ढंग से चलाना है तो प्रशासनिक निगरानी को गहराई से मजबूत करना होगा, संसाधनों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और समुदाय की सहभागिता को भी ठीक से साथ लाना होगा। कुल मिलाकर इस शोध में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कई नीतिगत सुझाव दिए गए हैं, जो ग्वालियर संभाग ही नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों की शैक्षिक व्यवस्था में भी कुछ हद तक उपयोगी साबित हो सकते हैं।

Keywords: Right To Education Act (RTE), Secondary, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) माध्यमिक

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का आधार-सा होती है। भारतीय संविधान में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार की तरह मान्यता देने के बाद, वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम लागू किया गया, जिससे लक्ष्य ये है कि 6 से 14 वर्ष तक के हर बालक व बालिका को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिल सके। वैसे ये अधिनियम सिर्फ कक्षा में प्रवेश दिलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, समानता, समावेशन, और विद्यालयीय आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी जोर देता है, इसमें “मात्र दाखिला” वाला विचार नहीं चलता। भारत जैसी विविधतापूर्ण धरती में शिक्षा के अधिकार को ठीक तरह से लागू करना, दरअसल कई स्तर की बाधाओं से जुड़ जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की शैक्षिक असमानता, बुनियादी संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, और सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ क्यूे सब मिलकर इस अधिनियम की सफलता को रोकने लगती हैं। मध्यप्रदेश के ग्वालियर संभाग में भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक प्रयत्न हुए हैं, परन्तु आज भी कुछ अहम समस्याएँ मौजूद हैं, जिन्हें अभी पूरा ठीक करना बाकी है।

सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट्स की पढ़ाई यँ ही चलती रहे, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलती रहे और RTE के असर को सही तरह से समझना और देख पाना भी जरूरी हो जाता है। ये स्टडी एक्ट के लागू होने की मौजूदा स्थिति पर नजर रखेगी, अब तक जो कामयाबियाँ सामने आई हैं उन्हें परखेगी और जो चुनौतियाँ आ रही हैं उन्हें भी टटोलने की कोशिश करेगी। फिर सुधार की संभावनाओं की तरफ ध्यान जाएगा। साथ ही, ये रिसर्च शिक्षा नीति बनाने वालों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए कुछ प्रैक्टिकल यानी काम चलाऊ नहीं बल्कि व्यावहारिक सुझाव भी देगी, ताकि मैदान पर असर बेहतर हो सके।

अध्ययन की पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(क) के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया, और बस यही वजह है कि साल 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सामने आया, जो 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम का मूल इरादा यही है कि 6 से 14 वर्ष आयु समूह के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य पढ़ाई मिल सके। इसके जरिए स्कूलों में प्रवेश दिलाना, उपस्थिति को बरकरार रखना, और गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा लगभग समान अवसर सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है।

मध्यप्रदेश में शिक्षा के विस्तार के लिए लगातार कई तरह की योजनाएँ चलती रही हैं। ग्वालियर संभाग, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया जिले शामिल हैं, शैक्षिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। यहाँ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को देखें तो अंतर कुछ कुछ साफ उभर कर आता है। कई विद्यालयों में आधारभूत व्यवस्थाओं की कमी, शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर दिक्कत, और पढ़ाई की गुणवत्ता से जुड़ी परेशानियाँ भी दिखती हैं।

ऐसी हालात में यह सवाल उठता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन वास्तव में कितनी प्रभावशीलता के साथ हो रहा है, इस पर ठोस अध्ययन होना चाहिए। यह शोध ग्वालियर संभाग के माध्यमिक विद्यालयों में (RTE) के असर, उपलब्धि और चुनौतियों को लेकर एक विश्लेषण करेगा, साथ ही नीतिगत सुधारों के लिए काम की सिफारिशें भी देगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) का परिचय

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act, 2009) भारत सरकार द्वारा पारित एक अहम कानून है, इसे लेकर यही भाव है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क पढ़ाई मिलनी चाहिए। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में, लागू किया गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले सभी बच्चों के लिए शिक्षा हासिल करना मूलभूत अधिकार जैसा माना गया है, जैसे कि कोई “अधिकार” ही हो।

RTE अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को आर्थिक, सामाजिक या अन्य प्रकार की वजहों से शिक्षा से रोकना नहीं चाहिए। यह अधिनियम विद्यालयों में न्यूनतम आधारभूत व्यवस्थाएँ, प्रशिक्षित शिक्षक, ठीक ठाक छात्र-शिक्षक अनुपात और बाल तिपमदकसल शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर देता है। इसके अलावा निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण भी तय किया गया है, ताकि अवसर कुछ हद तक बराबर हो सके।

कुल मिलाकर, यह अधिनियम शिक्षा के भीतर समता, समावेशन और गुणवत्ता को बढ़ाने का एक बड़ा साधन बनता है। हालांकि यह मुख्यतः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित है, फिर भी इसका असर माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों की निरंतरता, और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर साफ दिखाई देता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्व

- 1) शिक्षा के अधिकार अधिनियम की असरदार क्रियान्वयन पर परख करना यानी जमीनी स्तर पर ये सच में कैसे चल रहा है, यह देखना, थोड़ा सा समझना।
- 2) माध्यमिक विद्यालयों में मिलने वाली सुविधाओं की जाँच करना, जैसे जमंबीपदह तमेवनतबमे, वातावरण और मूलभूत व्यवस्था, कुल मिलाकर क्या- क्या उपलब्ध है।

- 3) शिक्षा की गुणवत्ता पर (RTE) का असर देखना, ताकि साफ हो सके कि इस कानून ने क्या निखारा है, कहाँ सुधार आया।
- 4) साथ ही विद्यालयों की अहम दिक्कतें और मुश्किलें पहचानना, ताकि बाद में नीति निर्माण के लिए काम की, चतंबजपबंस तरह के सुझाव तैयार किए जा सकें।
- 5) अंत में समावेशी, समान शिक्षा के विकास में योगदान देना, जिससे हर बच्चों को बराबर अवसर मिले, और किसी को पिछड़ना न पड़े।

समस्या का प्रतिपादन

मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएँ और कोशिशें, हो जाने के बाद भी 3 स्कूलों की पढ़ाई की सुनिश्चिता, आधारभूत सुविधाओं की मौजूदगी, और विद्यार्थियों की निरंतरता को लेकर जो दिक्कतें हैं वो अभी भी साफ दिखती रहती हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद स्कूलों में नामांकन दर में तो बढ़ोतरी आई है, लेकिन इसके बावजूद बढ़िया स्तर की पढ़ाई, प्रशिक्षित शिक्षक की उपलब्धता, तथा जरूरी साधनों की व्यवस्था, जैसी परेशानियाँ बनी ही रहती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों की बुनियादी संरचना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, और तकनीकी सुविधाओं का अभाव कई बार सामने आता है, और लोग इन्हें हल्की सी बात नहीं मानते।

इसके साथ ही समाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना भी एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे हालात में ये समझना जरूरी हो जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अपने उद्देश्यों को किस हद तक पूरा कर पा रहा है, और क्रियान्वयन के दौरान कौन सी बाधाएँ बार बार लौट कर आती हैं। इसलिए इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य मध्यप्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में RTE अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति का अंदाजा लगाना है, इसकी उपलब्धियाँ और कमियाँ देखना है, तथा शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा कारगर बनाने के लिए नीतिगत सुझाव देना है।

अध्ययन के उद्देश्य

- 1) RTE अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति का अध्ययन करना, मध्यप्रदेश में।
- 2) माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं का मूल्यांकन करना।
- 3) शिक्षकों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता का विश्लेषण करना।
- 4) विद्यार्थियों के नामांकन एवं उपस्थिति की स्थिति का अध्ययन करना।
- 5) RTE के प्रभाव एवं चुनौतियों की पहचान करना।
- 6) नीतिगत सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन की सीमाएँ

अध्ययन मध्य प्रदेश के कुछ चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित रहेगा, और वही चयनित विद्यालय इस पूरे अध्ययन के आधार बनेंगे, ठीक से बोलू तो शोध में प्राथमिक और द्वितीयक उपलब्ध आँकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि चीजे साफ रहें। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य (RTE) के क्रियान्वयन को देखना और उसके प्रभाव पर फोकस करना होगा, क्योंकि यही असल सवाल है। अंत में जो निष्कर्ष निकलेंगे वो अध्ययन क्षेत्र और नमूने के अनुसार ही मान्य माने जाएंगे, वरना लागू नहीं होंगे। फिर भी अध्ययन समय, संसाधन, इनकी कमी जैसी बातों से परिणाम कुछ हद तक प्रभावित हो सकते हैं।

साहित्य समीक्षा

- 1) अम्बरीश राय (Rai (2014)) ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति पर कुछ हद तक ध्यान दिया, और वहाँ की व्यवस्था को देख कर परिणाम निकाले। उनके अध्ययन में ये बात उभरी कि (RTE) के लागू होने से शिक्षा के प्रति लोगों की समझ, जागरूकता वगैरह में फर्क आया, पर साथ साथ विद्यालयी आधारभूत सुविधाएँ, प्रशिक्षित शिक्षक, और प्रशासनिक निगरानीकृइन सब में कई कमियाँ दिखीं। साथ ही, उनके शोध में ये संकेत भी मिला कि अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकारी प्रयासों को थोड़ा और सुदृढ़ करना जरूरी है।
- 2) सीमा एस. ओझा (Ojha (2013)) ने (RTE) अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी बाधाओं, और व्यावहारिक चुनौतियों का अध्ययन किया। निष्कर्षों के मुताबिक विद्यालयों में आधारभूत ढांचे की कमी, शिक्षकों की अनुपलब्धता, और जागरूकता का अभाव इन वजहों से अधिनियम के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल कर पाना कठिन रहा।
- 3) वीरेन्द्र पी. सिंह (Singh (2013)) ने भारत के अलग अलग राज्यों में (RTE) अधिनियम की क्रियान्वयन-स्थिति का आकलन किया। उनके अनुसार, राज्यों के बीच अनुपालन का स्तर काफी अलग अलग मिला, और कई राज्यों में विद्यालयी संसाधन, तथा शिक्षक प्रशिक्षण की हालत संतोषजनक नहीं थी।
- 4) आर. बी. एल. सोनी (Soni (2015)) ने केरल में वंचित और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में (RTE) अधिनियम के क्रियान्वयन को परखा। परिणामों से ये समझ आया कि समावेशी शिक्षा को गति मिली, लेकिन संसाधनों की व्यवस्था और खास शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार की जरूरत अब भी बची हुई है।

- 5) रेनू (Renu (2017)) ने भारत में (RTE) अधिनियम के प्रभाव और क्रियान्वयन की समीक्षा की। शोध में ये देखा गया कि अधिनियम ने नामांकन दर को बढ़ाने में मदद की है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और अधोसंरचना संबंधी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं।
- 6) अभय कुमार, सुधीर कुमार शुक्ला, मैरी पनमेई एवं वीर नारायण Kumar et al. (2019) RTE अधिनियम के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा और सामाजिक समावेशन का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि शिक्षा तक पहुँच में सुधार हुआ है, परंतु सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ अभी भी शिक्षा के अवसरों को प्रभावित करती हैं।
- 7) Mary Panmei and Vir Narayan. (2019) ने (RTE) अधिनियम के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा और सामाजिक समावेशन वगैरह का अध्ययन किया। इस काम में निकला ये कि शिक्षा तक पहुँच में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन सामाजिक, आर्थिक असमानताएँ अब भी शिक्षा के मौकों पर असर डालती रहती हैं, और ऐसा लगता है कि ये मुद्दे पूरी तरह सॉल्व नहीं हुए।
- 8) रत्ना बनर्जी, एवं सुरभि अरोड़ा Ratna Banerjee and Surbhi Arora (2014) ने (RTE) अधिनियम के सामाजिक तथा आर्थिक पड़ावों या असर का अध्ययन किया। शोध में यह सामने आया कि अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार के प्रति जन जागरूकता काफी बढ़ाई, पर बाल श्रम, गरीबी और सामाजिक विषमताएँ, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बार बार रोड़े बन कर खड़े हो जाती हैं।

अनुसंधान पद्धति

अनुसंधान की प्रकृति

यह अध्ययन थोड़ा सा वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक टाइप का है। उद्देश्य इंफॉर्मेशनल माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के क्रियान्वयन यानी लागू होने की स्थिति, उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ वगैरह को समझना, और फिर उस पर विचार करना है।

अनुसंधान डिजाइन

इस शोध में सर्वेक्षण पद्धति अपनाई गई। साथ ही मात्रात्मक, और गुणात्मक दोनों तरह के आंकड़ों का संकलन भी किया गया, फिर उनका विश्लेषण किया गया।

अध्ययन क्षेत्र एवं नमूना चयन

यह अध्ययन ग्वालियर संभाग के चयनित माध्यमिक विद्यालयों में किया गया।

नमूना (Sample Size):

- विद्यालय : 20
- शिक्षक : 100
- विद्यार्थी : 200
- प्रधानाचार्य : 20

कुल उत्तरदाता = 320

नमूना चयन के लिए, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति को ही अपनाया गया, वैसे।

डेटा के स्रोत

प्राथमिक स्रोत

- प्रश्नावली
- साक्षात्कार
- अवलोकन

द्वितीयक स्रोत

- RTE अधिनियम 2009
- सरकारी रिपोर्टें
- शोध-पत्र और पुस्तकें
- शिक्षा विभाग के अभिलेख

अनुसंधान उपकरण

- संरचित प्रश्नावली
- साक्षात्कार अनुसूची
- अवलोकन की सूची

डेटा संकलन प्रक्रिया

विद्यालयों का चयन कर लेने के बाद शिक्षकों, विद्यार्थियों, प्रधानाचार्यों से प्रत्यक्ष सम्पर्क किया गया और फिर जानकारी ग्रहण की गई। जो आंकड़े मिले उन्हें, क्रमबद्ध तरीके से वर्गीकृत भी किया गया और सारणीबद्ध भी।

सांख्यिकीय तकनीकें एवं विश्लेषण पद्धति


- प्रतिशत
- माध्य
- सारणीकरण
- तुलनात्मक विश्लेषण

डेटा विश्लेषण

सारणी 1

सारणी 1 विद्यालयों में RTE मानकों की उपलब्धता

सुविधा	उपलब्ध विद्यालय	प्रतिशत
पेयजल सुविधा	18	90%
शौचालय सुविधा	17	85%
पुस्तकालय	15	75%
कंप्यूटर सुविधा	12	60%
विज्ञान प्रयोगशाला	10	50%




व्याख्या:

सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश विद्यालयों में पेयजल और शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जबकि कंप्यूटर और विज्ञान प्रयोगशाला जैसी सुविधाओं की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। यह दर्शाता है कि RTE के आधारभूत मानकों की आंशिक पूर्ति हुई है, किंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है।

सारणी 2

सारणी 2 RTE क्रियान्वयन के प्रति शिक्षकों की राय		
प्रतिक्रिया	शिक्षक संख्या	प्रतिशत
अत्यंत संतोषजनक	20	20%
संतोषजनक	45	45%
औसत	25	25%
असंतोषजनक	10	10%



व्याख्या:

सारणी से स्पष्ट होता है कि 65% शिक्षक RTE के क्रियान्वयन को संतोषजनक या अत्यंत संतोषजनक मानते हैं, जबकि 35% शिक्षकों ने इसे औसत या असंतोषजनक बताया है। यह दर्शाता है कि अधिनियम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, किंतु इसके प्रभावी कार्यान्वयन में अभी भी कुछ चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

परिणाम एवं चर्चा

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद विद्यालयों में नामांकन दर एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है। अधिकांश विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध पाई गईं, जो RTE के मानकों के अनुरूप हैं। इसके बावजूद पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष तथा विज्ञान प्रयोगशाला जैसी शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम पाई गई। शिक्षकों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट हुआ कि RTE ने शिक्षा तक पहुँच को आसान बनाया है तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को विद्यालयों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता तथा संसाधनों की कमी जैसी समस्याएँ अभी भी मौजूद हैं। ग्रामीण विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति शहरी विद्यालयों की तुलना में कमजोर पाई गई। कई विद्यालयों में तकनीकी संसाधनों एवं आधुनिक शिक्षण सामग्री का अभाव देखा गया। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि विद्यालय प्रबंधन समितियों की सक्रियता वाले विद्यालयों में RTE का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत बेहतर था। कुल मिलाकर अध्ययन से स्पष्ट होता है कि RTE अधिनियम ने शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किन्तु गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों, निगरानी व्यवस्था तथा शिक्षक प्रशिक्षण को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की पहुँच बढ़ाने एवं विद्यार्थियों के नामांकन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकांश विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है। इसके बावजूद विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कंप्यूटर तथा अन्य शैक्षणिक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र-शिक्षक अनुपात तथा प्रशासनिक निगरानी संबंधी समस्याएँ भी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि केवल विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सीखने के परिणाम तथा समावेशी

वातावरण पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यदि सरकार, विद्यालय प्रशासन एवं समुदाय मिलकर कार्य करें, तो RTE के उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि RTE अधिनियम ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, किन्तु इसके पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सतत निगरानी, पर्याप्त संसाधन एवं प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

सुझाव

- 1) विद्यालयों में पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि की जाए।
- 2) सभी विद्यालयों में कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।
- 3) शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित और प्रभावी बनाया जाए।
- 4) छात्र-शिक्षक अनुपात को RTE मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।
- 5) विद्यालय प्रबंधन समितियों की भूमिका को सशक्त किया जाए।
- 6) ग्रामीण विद्यालयों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
- 7) अधिनियम के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी की जाए।

REFERENCES

- Afzal, Maria, and Mazhar, Shaista (2017). *Educating Quality after the RTE Act: A Study of Delhi-NCR* (RTE अधिनियम के बाद शिक्षा की गुणवत्ता: दिल्ली-एनसीआर का अध्ययन). *International Research Journal of Social Sciences*, 6(7), 17–25.
- Agarwal, J. C. (2013). *Indian Education System: Development, Problems, and Challenges* (भारतीय शिक्षा व्यवस्था: विकास, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ). New Delhi: Shipra Publications.
- Bhatnagar, Suresh (2011). *Challenges to Universal Primary Education in India* (भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियाँ). *Bharatiya Shiksha Patrika*.
- Kumar, Abhay Shukla, Sudhir Kumar, Panmei, Mary, & Narayan, Veer (2019). *The Right to Education Act: Universalization or Exclusion* (शिक्षा का अधिकार अधिनियम: सार्वभौमिकरण या बहिष्करण). *Journal of Social Inclusion Studies*, 5(1), 89–111.
- Mangal, S. K. (2014). *Research Methods in Education* (शिक्षा में अनुसंधान की पद्धतियाँ). New Delhi: PHI Learning.
- Mishra, Ashok Kumar (2020). *Status and Challenges of School Education in Madhya Pradesh* (मध्यप्रदेश में विद्यालयी शिक्षा की स्थिति एवं चुनौतियाँ). *Indian Social Science Review*.
- Ojha, Seema S. (2013). *The Right to Education Act in India: Challenges and Prospects* (भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम: चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ). *Journal of Educational Research*.
- Rai, Ambrish (2014). *Implementation of the Right to Education Act: A Status Report of the RTE Forum* (शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन: आरटीई फोरम की स्थिति रिपोर्ट). *Social Change*, 44(3), 439–449.
- Renu (2017). *The Right to Education: An Evaluation* (शिक्षा का अधिकार: एक मूल्यांकन). *Journal of Advances and Scholarly Research in Allied Education*, 13(2), 60–63.
- Shah, Manisha, and Steinberg, Bryce (2019). *The Right to Education Act: A Study of Enrollment, Learning Levels, and School Quality* (शिक्षा का अधिकार अधिनियम: नामांकन, अधिगम स्तर एवं विद्यालय गुणवत्ता का अध्ययन). *AEA Papers and Proceedings*.
- Sharma, R. A. (2012). *Educational Research and Statistics* (शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी). Meerut: R. Lal Book Depot.
- Singh, Virendra P. (2013). *Evaluating the Implementation of the Right to Education Act* (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन). *Indian Education Review*.
- Soni, R. B. L. (2015). *Inclusive Education and the Right to Education Act* (समावेशी शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम). *Indian Journal of Educational Studies*.

Srivastava, Prachi, and Noronha, Claire (2016). The Right to Education Act and Access to Private Schools in India (भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम और निजी विद्यालयों तक पहुँच). *Oxford Review of Education*, 42(5), 561–578.

Yadav, Ramesh Chandra (2018). Quality Improvement and Policy Interventions in Secondary Education (माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार एवं नीतिगत हस्तक्षेप). *Shiksha Vimarsh Patrika*.